न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा जिला दौसा (राज.)

पीठासीन अधिकारी	: सीमा मीना, आरजेएस
नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या	: 318 / 2010
सीआईएस रजिस्ट्रेशन नंबर	: 1456 / 2020
एफ.आई.आर. नंबर	: 155 / 2010, थाना मण्डावर

राजस्थान राज्य **ब ना म**
1. बने सिंह पुत्र भंवर सिंह उम्र 39 साल निवासी बनाबड का वास, पुलिस थाना मण्डावर जिला दौसा (राज.)
2. राकेश पुत्र रामप्रताप निवासी अडोली पुलिस थाना खेरली जिला अलवर (राज.)
3. नरेश सिंह पुत्र भोला सिंह, निवासी उकसी, पुलिस थाना खेरली जिला अलवर (राज.) **(दिनांक 10.10.2024 से मफरूर)**

........**अभियुक्तग**

अपराध अन्तर्गत धारा 323, 394 भा.दं.सं

उपस्थित : —
01. विद्वान अभियोजन अधिकारी — राज. की ओर से
02. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त राकेश — श्री विक्रम सिंह

:: निर्णय :: **दिनांक : 17.11.2025**

01. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त नरेश सिंह दिनांक 10.10.2024 से मफरूर हैं और अभियुक्त बने सिंह को दिनांक 17.11.2025 को दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है। अब यह निर्णय केवल अभियुक्त राकेश की हद तक पारित किया जा रहा है।

02. हस्तगत प्रकरण का उद्भव दिनांक 02.08.2010 को परिवादी छगन पुत्र चिम्मन निवासी कलसाडा थाना मालाखेडा जिला अलवर के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश किये जाने पर हुआ कि आज दिनांक 02.08.20140 को दोपहर 3.30 बजे का वाक्या है कि प्रार्थी अपनी बहन के ससुराल अडोली से अपने जीजा महेन्द्र पुत्र कैलाश बैरवा के साथ मण्डावर की तरफ आ रहा था। तभी रास्ते में बनावड घाटी में वहां पहले से मौजुद आरोपी बनैसिंह गुर्जर तथा अन्य दो नामालूम व्यक्तियो में प्रार्थी की मोटर साईकिल रोक कर प्रार्थी व प्रार्थी के जीजा के साथ लात घूंसो व पत्थरों से मारपीट शुरू कर दी तथा प्रार्थी के गले से सोने का ओम व हाथ घडी छीन कर उक्त मोटर साईकिल को स्टार्ट कर ले भागे तब जाकर प्रार्थी ने भाग कर पीछा किया तथा ग्राम बनावड में जाकर लोगों को हाल सुनाया तब आरोपीयों के

बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। उक्त मारपीट के दौरान हम दोनों के समस्त शरीर मे चोटें आई है। जिनमें दर्द बरकरार है। प्रार्थी की उक्त मोटर साईकिल बजाज प्लेटीना कलर लाल व रजि. नं. RJ02 SN 9984 हैं, गाडी के समस्त ओरिजनल कागजात भी गाडी में ही रखे हुए थे। अतः उचित जांच पडताल कराने व आरोपियो के खिलाफ सख्त कार्यवाई कराने व प्रार्थी की मोटर साईकिल बरामद कराने की कृपा करें...........आदि, इस पर पुलिस थाना मण्डावर जिला दौसा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 155/2010 दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण राकेश एवं बने सिंह के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 323/34, 394 भारतीय दंड संहिता में न्यायालय में आरोप पत्र पेश करने पर हुआ।

03. अभियुक्त राकेश को धारा 341, 323/34, 394 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप को सुन समझकर अपराध से अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर अभियोजन साक्ष्य आरम्भ की गई।

04. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध को प्रमाणित करने हेतु मौखिक साक्ष्य में गवाह पी0ड01 डॉ. आरआर मीना, पी0ड02 देवीसहाय, पी0ड03 महेन्द्र, पी0ड04 जयकिशन, पी0ड05 सुनील कुमार, पी0ड06 छगनलाल, पी0ड07 हरिचरण, पी0ड08 महेश, पी0ड09 रामअवतार, पी0ड010 रामकरण, पी0ड011 बलवीर सिंह, पी0ड012 धर्मपाल सिंह, पी0ड013 रामकिशोर, पी0ड014 मनोहरलाल को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया। प्रलेखीय साक्ष्य में चोट प्रतिवेदन छगनलाल प्रदर्श पी1, नक्शा मौका प्रदर्श पी2, पुलिस बयान महेन्द्र प्रदर्श पी3, फर्द गिरफ्तारी राकेश प्रदर्श पी4, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 05, चाकएफआईआर प्रदर्श पी6, नक्शा मौका घटनास्थल एवं जहां मोटरसाईकिल बेची वहां का नक्शा प्रदर्श पी7 एवं प्रदर्श पी8, फर्द गिरफ्तारी बनैसिंह प्रदर्श पी9, बने सिंह की निशांदेही ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी10, फर्द गिरफ्तारी नरेश प्रदर्श पी 11, नरेश की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 12, फर्द जब्ती मोटरसाईकिल की नंबर प्लेट प्रदर्श पी 13, बरामदगी का नक्शा मौका प्रदर्श पी 14, नरेश द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला प्रदर्श पी 15 को प्रदर्शित कराया गया है।

05. अभियुक्त के कथन अन्तर्गत धारा 313 द. प्र. सं. के प्रावधानानुसार लेखबद्व किये, जिसमे अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया एवं अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुये स्वयं के निर्दोष होने एवं झूठा फंसाया जाने का अभिवाक् किया।

06. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अभियोजन अधिकारी की ओर से कथन रहा कि पत्रावली पर मौजूद समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्व अपराध संदेह से परे अभियोजन की ओर से साबित किया

गया है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध के लिये दोषसिद्ध किया जावें।

07. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का कथन रहा है कि प्रकरण में अभियुक्त की पहचान सुनिश्चित नहीं की गई है। अभियुक्त निर्दोष हैं, उसे झूंठा फसाया गया है। प्रकरण में परीक्षित हुए साक्षीगण अभियोजन कहानी की लेसमात्र भी ताईद नहीं करते हैं। प्रकरण में प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य से यह कतई साबित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा मजरूबान के साथ कोई घटना कारित की हो, जिसके कारण अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाती है। ऐसे में अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावे।

08. सुना गया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष अवधारणार्थ बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि:–

''आया अभियुक्त राकेश ने दिनांक 02.08.2010 को समय दोपहर 3.30 बजे मौजा बनावड की घाटी मण्डावर में जब फरियादी छगन अपने जीजा महेन्द्र के साथ मोटरसाईकिल आर.जे.02 एसएन 9984 से आ रहा था, तब आपने अन्य साथी अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी को मृत्यु या उपहति का भय दिखाते हुए फरियादी के साथ लात घूसों से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की एवं फरियादी के गले से सोने का ओम व हाथ घड़ी व मोटरसाईकिल को ले जाकर लूट कारित की ?

यदि हां तो दण्ड की मात्रा कितनी होगी ?''

09. उक्त विचारणीय बिन्दू के संबंध में हस्तगत प्रकरण में परिवादी छगनलाल द्वारा दर्ज करवायी गई तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 के आधार पर हस्तगत प्रकरण में एफआईआर दर्ज हुयी है, जिसका परिवादी छगनलाल पीडब्ल्यू 06 के तौर पर परीक्षित हुआ है। गवाह पीडब्ल्यू 06 छगनलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 02.08.2010 को दिन के 3:30 बजे के आसपास वह व उसका जीजा हमारी मोटरसाईकिल नं. आर0जे 02 एस एम 9984 पर बैठकर गांव अडौली से मंडावर की तरफ आ रहे थे। रास्ते में बनावड की घाटी के पास पहुंचे तो वहां पर अचानक राकेश, बनैसिंह, नरेश ने हमारी मोटरसाईकिल के सामने अपनी मोटरसाईकिल लगा दी और हमारे साथ में मारपीट की थी। उसके गले से सोने का ओउम, हाथ की घडी तथा हमारी मोटरसाईकिल को छीन कर ले गये थे। उक्त व्यक्तियों के बारे में हमने गांव वालों से पूछा था तो गांव के लोग हमारे साथ में थाने तक आये थे। जहां पर मैंने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 06 है। इन दोनों पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 02 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। राकेश मेरी बहिन विद्यया के गांव

का था, इसलिए वह उसे जानता था। शेष दो व्यक्तियों के बारे में नाम मुझे गांव के लोगों ने बताया था। गवाह ने न्यायालय में उपस्थित व्यक्तियों को पहचान कर कहा कि इनमें वह व्यक्ति उपस्थित नहीं है, जिसने उसके साथ घटना कारित की। न्यायालय में मुलजिम बने सिंह उपस्थित था जिसे गवाह ने पहचाना नहीं है। उसका मेडिकल हुआ था जो प्रदर्श पी 01 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। **जिरह** में कथन किया है कि उसके साथ थप्पड लप्पड लात घुसों से मारपीट की थी। उसके साथ मारपीट करने वाले लोगों ने अपने मुंह पर कपडे बांध रखे थे। जिस समय उसके साथ हाथापाई की उस समय वहां पर कोई आदमी नहीं था। वहां पर एक छोटा सा लडका था, जिसका नाम पता उसे पता नहीं है। प्रदर्श पी 05 उसने अपने हाथ से नहीं लिखी थी। उसने बनावड में जिन लोगों को घटना का हाल सुनाया था, उन गांव वालों के नाम उसे उस दिन व आज भी मालूम नहीं है। यह बात सही है कि सोने के ओउम व घडी के बिल वाउचर उसने थाने पर पेश नहीं किये थे।

10. प्रकरण में अन्य मजरूब महेन्द्र पीडब्ल्यू 03 के तौर पर परीक्षित हुआ है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 02.08.2010 को शाम के 3–3:30 बजे बनावड घाटी की बात है। वह और छगनलाल मोटरसाईकिल से उसकी बहिन के गांव निहालपुरा तीज देने के लिए जा रहे थे। हम चल रहे थे तो हमारे पीछे से तीन व्यक्ति मोटरसाईकिल से आये जो हमारे बगल से निकालकर घ ााटी की तरफ आगे निकल गये और वहां पर अपनी मोटरसाईकिल रोक कर हमारे साथ मारपीट की। हमारी मोटरसाईकिल प्लेटीना जो सुनील के नाम से थी को छीनकर ले गये। उक्त लोग छगनलाल की घडी और सोने के ओम को भी छीनकर ले गये। इन तीनों व्यक्तियों के नाम राकेश, नरेश और एक व्यक्ति और था जिसका नाम उसे याद नहीं आ रहा है। राकेश उसके गांव का है। नरेश उकसी का है और तीसरा व्यक्ति बनावड गांव का है। वह राकेश और नरेश को शक्ल से पहचानता है और आज भी सामने आने पर पहचान सकता है। अभियोजन अधिकारी की ओर से इस गवाह को **पक्षद्रोही** घोषित करवाया गया है जिसने कथन किया है कि यह बात सही है कि उसने पुलिस को राकेश, बनैसिंह, नरेश का नाम बताया था।

11. प्रकरण में मजरूबान के आयी चोटों के संदर्भ में गवाह डॉ. आर आर मीना पीडब्ल्यू 01 के तौर पर परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 02.08.2010 को वह सीएचसी मंडावर पर चिकित्साधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन उसने पुलिस प्रतिवेदन पर मजरूब छगनलाल पुत्र चिमनलाल निवासी कलसाडा की चोटों का मैडीकल मुआयना किया था। जिसके शरीर पर चोट नंबर 01 खरोंच डेढ सेमी छोटी अंगूली के बीच के हिस्से में, चोट नंबर 02 खरोंच 5 सेमी रिंग फिगर के बीच के हिस्से में, चोट नंबर 03 खरोंच 0.5 गुणा 0.02 सेमी बीच की उंगली के हिस्से में, चोट नंबर 04 मलटीफल खरोंच 05

गुणा 02 सेमी गर्दन के दांयी साईड पर सभी चोटें साधारण प्रकृति एवं कुंद हथियार से कारित थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 01 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मजरूब के व ई से एफ पहचान चिन्ह अंकित है। **जिरह** में कथन किया है कि यह बात सही है कि सभी चोटें शरीर के सहज स्थान पर हैं। यह बात सही है कि सभी चोटें सख्त धरातल पर गिरने से आ सकती हैं एवं व्यक्ति खुरदरे स्थान पर गिर जाये तो चोटें आ सकती हैं।

12. गवाह पीडब्ल्यू 02 देवीसहाय ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं जो उसने बनावट घाटी पर किये थे, जहां पर छगन और महेन्द्र से मोटरसाईकिल खुसाई थी। **जिरह** में कथन किया है कि जिस दिन नक्शा मौका बनाया था, उस दिन दिनांक 02.08.2010 तारीख थी। नक्शा मौका उस समय दोपहर के 3–3.30 बज रहे थे, उसने नक्शा मौका पर हस्ताक्षर किये थे, समय अंकित नहीं किया था। उसे छगन ने जिस दिन घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था, उसी दिन दिनांक 02.08.2010 को उसे फोन कर बुलाया था।

13. गवाह पीडब्ल्यू 04 जयकिशन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 01.09.2010 को पुलिस थाना मंडावर में कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा संख्या 155/10 के अनुसंधान अधिकारी गोकुल एसआई ने प्रकरण में वांछित मुलजिम राकेश जो पूर्व के दीगर मुकदमों में बयाना जेल में बंद हवालात था को प्रकरण में वांछित होने पर उसकी व बलवीर सिंह की मौजूदगी में गिरफतार कर फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 04 बनाई थी जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर हैं। **जिरह** में कथन किया है कि वह मुलजिम राकेश को नहीं जानता है। उसने मुलजिम को बयान जेल से गिरफ्तार किया था।

14. गवाह पीडब्ल्यू 05 सुनील कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 02.08.2010 को शाम के 02–03 बजे उसका बडा भाई छगन हमारे जीजा के गांव अडौली आये थे। अडौली गांव से उसके भाई और उसका जीजा उसकी बहन के गांव मोटरसाईकिल से तीज देने जा रहे थे। ज्यों ही बनावड घाटी के पास पहुंचे तो वहां से पहले से ही दो आदमी खडे थे इन्होंने इनकी मोटरसाईकिल को रूकवाया और उसके जीजा और उसके भाई के साथ मारपीट की थी। उसके जीजा के पास से सोने का ओउम और हाथ की घडी छीन ली तथा उसकी मोटरसाईकिल आर.जे 02 एस एम 9984 को छीन कर भाग गये थे। उक्त घटना की जानकारी उसे उसके भाई ने बताई थी। उक्त मोटरसाईकिल उसके नाम से थी। **जिरह** में कथन किया है कि यह बात सही है कि उसने घटना अपनी आंखों से नहीं देखी थी। यह बात सही है कि वक्त घटना वह अपने गांव कलसाडा में था। वह घटना के बाद भी घटनास्थल पर नहीं आया था। यह बात सही है कि वह आज सुनी सुनाई बात बता रहा है।

15. गवाह पीडब्ल्यू 07 हरिचरण ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 02.08.2010 को वह थाना मंडावर पर एसएचओ के पद पर तैनात था। उस दिन तहरीरी रिपोर्ट छगनलाल ने पेश की जो प्रदर्श पी 05 है। तहरीरी रिपोर्ट पर सी से डी कार्यवाही पुलिस अंकित है एवं ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। जिस पर मुकदमा संख्या 155/10 धारा 323, 341, 379, 34 भा0दं0सं0 में पंजीकृत कर तफ्तीश गोकुलचंद एएसआई को दी गई। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 06 है, जिस पर ए से बी मुस्तगीस के एवं सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। **जिरह** में कथन किया है कि यह बात सही है कि प्रकरण की तफ्तीश उसने नहीं की। आरोप पत्र उसने पेश नहीं किया। इसलिए वह नहीं बता सकता कि प्रकरण में अंतिम नतीजा बचा रहा।

16. गवाह पीडब्ल्यू 08 महेश ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 17.09.2010 को वह थाना मंडावर पर कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा संख्या 155/2010 अंतर्गत धारा 341, 323, 394, 34 भा0दं0सं0 में गिरफतार शुदा मुलजिम बनैसिंह द्वारा दी गई धारा 27 एवीडेंस एक्ट की सूचना की तस्दीक में गोकुलचंद एएसआई ने उसके व बलवीरसिंह के सामने नक्शा मौका घ ाटनास्थल जहां घटना की थी एवं जहां मोटरसाईकिल बेची थी, बनाया था जो प्रदर्श पी 07 व 08 है, जिन पर ए से बी उसके व सी से डी गोकु चंद एएसआई के हस्ताक्षर है और ई से एफ बने सिंह के हस्ताक्षर हैं। **जिरह** में कथन किया है कि यह सही है कि वह अनुसंधान अधिकारी के साथ घटनास्थल पर गया, उसकी रवानगी पत्रावली पर मौजूद नहीं है एवं घटनास्थल प्रदर्श पी 07 पर ऐसे कोई आलामात नजर नहीं आ रहे थे, जिससे यह कहा जा सके कि इस स्थान पर घटना हुई है। यह सही है कि उसके सामने बने सिंह से कोई मोटरसाईकिल बरामद नहीं की थी। उसके सामने मुलजिम ने मोटरसाईकिल को ले जाना व छीनना कबूल नहीं किया था।

17. गवाह पीडब्ल्यू 09 रामअवतार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 13.09.2010 को वह पुलिस थाना मंडावर पर कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन गोकुलराम एएसआई द्वारा मुकदमा संख्या 155/2010 धारा 323, 341, 394, 34 भा0दं0सं0 में बाद आगाह जुर्म मुलजिम बनैसिंह पुत्र भंवरसिंह निवासी बनावड वास को जरिये फर्द उसके सामने व कानि. रामकरण के सामने गिरफतार किया गया जिसकी तलासी उसके द्वारा ली गई थी जिसके पास कागज के अलावा कुछ भी नहीं था। उक्त फर्द पर मुलजिम व उसने एवं कानि. रामकरण ने हस्ताक्षर किये थे। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 09 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। **जिरह** में कथन किया है कि मुलजिम बने सिंह को थाने पर ही गिरफ्तार किया था। यह सही है कि प्रदर्श पी 09 में यह अंकित नहीं है कि मुलजिम बने सिंह को कहां से गिरफ्तार किया था।

18. गवाह पीडब्ल्यू 10 रामकरण ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 13.09.2010 को वह थाना मंडावर पर कानि. के पद पर तैनात था। दिनांक 01.09.2010 को वह गोकुलचंद एएसआई के साथ मुलजिम राकेश को हमराह लेकर घटना की निशादेही नक्शा मौका हेतु बनावड घाटी गये थे जहां पर मुलजिम ने चलकर जिस जगह से मोटरसाईकिल छीनी थी वह बताया था। जिस पर थानेदार ने घटनास्थल का नक्शा मौका अंकित किया था जो प्रदर्श पी 10 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 13.09.2010 को गोकुलचंद एएसआई द्वारा मुलजिम बनैसिंह को उसके सामने गिरफतार किया था। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 09 है। जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। **जिरह** में कथन किया है कि उसे नहीं पता कि गिरफ्तारी के कितने दिन बाद राकेश को घटनास्थल पर ले गये थे।

19. गवाह पीडब्ल्यू 11 बलवीर सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 01.09.2010 को वह थाना मण्डावर पर कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन बयाना जेल से एएसआई गोकुलसिंह द्वारा मुलजिम राकेश को उसके सामने जरिये फर्द गिरफतार किया था। दौराने गिरफतारी कानि. जयकिशन से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें मुलजिम से कोई वस्तु बरामद नहीं पाई गई। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 04 है। जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिन मुलजिम की निशादेही से घटनास्थल पर जाकर नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 10 बनाया था। जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 17.09.2010 को एएसआई गोकुलचंद द्वारा मुलजिम बनैसिंह की निशादेही से नक्शा मौका घटनास्थल बनाया था जो प्रदर्श पी 07 है। जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिन मुलजिम बनैसिंह की निशादेही से जहां मोटरसाइकिल बेची थी उस स्थान का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 08 है। जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 11.08.2011 को उक्त मुकदमा में मुलजिम नरेश पुत्र भोलासिंह को जरिये फर्द गिरफतार किया था जो प्रदर्श पी 11 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 11.08.2011 को मुलजिम नरेश की निशादेही से नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 12 कसीद किया था। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिन मुलजिम नरेश ने स्वेच्छा से पुलिस के आगे आगे चलकर अपने घर उकसी पुलिस थाना खेडली गंज अपने मकान के अंदर से अडडी पर मोटरसाईकिल की नं. प्लेट जिस पर आर जे 02 एसएन 9984 लिखे हुए थे पेश की जिसको मौके पर ही जब्त कर फर्द जब्ती प्रदर्श पी 13 बनाई थी। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका बरामदगी प्रदर्श पी 14 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। **जिरह** में कथन किया है कि मुलजिम राकेश किस मुकदमे में जेल में बंद था उसके नंबर उसे पता नहीं है व उससे संबंधित आईओ ने कोई दस्तावेज लिये हैं तो उसे पता नहीं है।

20. गवाह पीडब्ल्यू 12 धर्मपाल सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है

कि दिनांक 24.08.2011 को वह थाना मंडावर पर एसएचओ के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा संख्या 155/10 अंतर्गत धारा 323, 341, 394, 34 भा0दं0सं0 में मुलजिम नरेशसिंह के विरूद्ध उक्त धाराओं में अपराध प्रमाणित मानते हुये तितम्बा चार्जशीट संख्या 144 किता कर माननीय न्यायालय में पेश की।

21. गवाह पीडब्ल्यू 13 रामकिशोर ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह माह अगस्त 2011 में थाना मंडावर पर एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा संख्या 155/10 में धारा 173(8) सीआरपीसी के तहत शेष आरोपी नरेशसिंह व समुन्दर सिंह के खिलाफ अग्रिम अनुसंधान हेतु पत्रावली मुझे प्राप्त हुई। दौराने अनुसंधान दिनांक 11.08.2011 को प्रकरण में वांछित आरोपी नरेशसिंह को बलवीर व मनोहरलाल कानि. की उपस्थिति में गिरफतार कर फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 11 बनाई थी। जिस पर एक्स स्थान पर मुलजिम का अंगूठा निवासी, सी से डी भाग पर उसके व ई से एफ पर मनोहरलाल के हस्ताक्षर हैं। बंद हवालात मुलजिम नरेश सिंह ने मोटरसाईकिल लूट करने वाले स्थान तथा लूट के बाद मोटरसाईकिल की नम्बर प्लेट को उसके घर से बरामद कराने की इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत दी थी। उक्त इत्तिला प्रदर्श पी 15 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, एक्स स्थान पर मजरूब का अंगूठा निशानी अंकित है। मुताबिक इत्तिला मुलजिम की निशादेही से बनावड घाटी का नक्शा मौका तस्दीक किया था जो प्रदर्श पी 12 है। जिस पर ए से बी बलवीर सिंह, सी से डी मनोहरलाल व ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। एक्स स्थान पर मुलजिम की अंगूठा निशानी अंकित है। मुताबिक इत्तिला मुलजिम नरेश कुमार ने ग्राम उकसी पीएस खेडली गंज स्थित अपने घर से लूटी गई मोटरसाईकिल की नंबर प्लेट बरामद करवाई। उक्त प्लेट को एक सफेद कपडे की थैली में सील्ड मोहर किया गया जिसकी फर्द जब्ती मौके पर बनाई थी जो प्रदर्श पी 13 है। जिस पर ए से बी बलवीर के सी से डी मनोहरलाल के ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर मुलजिम की अंगूठा निशानी है व एक्स स्थान पर मार्का शील अंकित है। जिसका नक्शा मौका बरामद स्थल बनाया था जो प्रदर्श पी 14 है। जिस पर ए से बी बलवीर, सी से डी मनोहरलाल एवं ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं एवं एक्स स्थान पर मुलजिम की अंगूठा निशानी अंकित है। तत्पश्चात उसके द्वारा मुलजिम नरेश के खिलाफ धारा 323, 341, 394, 34 भा0दं0सं0 का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु एसएचओ धर्मपालसिंह को सुपुर्द की जिन्होंने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत माल मशरूका लोहे की नंबर प्लेट जिस पर आर जे 02 एसएन 9984 लिखा था, यह वही नंबर प्लेट है जिसको मुलजिम नरेश के कब्जे से उसकी ईतला अनुसार जब्त किया था, उक्त नंबर प्लेट आर्टिकल 01 है। **जिरह** में कथन किया है कि यह बात सही है कि ऐसी नंबर प्लेट बाजार में काफी आती है एवं नंबर प्लेट

पर नंबरों के अलावा और कुछ नहीं लिखा हुआ था।

22. गवाह पीडब्ल्यू 14 मनोहरलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 11.08.2011 को वह थाना मंडावर पर कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा संख्या 155/10 में धारा 173(8) सीआरपीसी के तहत वांछित आरोपी नरेशसिंह को प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी रामकिशोर एएसआई ने गिरफतार कर फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 11 बनाई थी। जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात उक्त मुलजिम की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत प्राप्त इत्तिला अनुसार घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया व उसके घर से एक नम्बर प्लेट आर जे 02 एसएन 9984 को बरामद कर उसकी बरामदी का नक्शा मौका बनाया। उक्त फर्द प्रदर्श पी 12 लगायत 14 है। इन सभी पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। **जिरह** में कथन किया है कि यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 11 लगायत प्रदर्श पी 14 हमने थाने पर तैयार की हों। यह कहना गलत है कि उसके सामने उक्त दस्तावेज घटनास्थल पर तैयार नहीं हुए हों।

23. पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में महत्वपूर्ण गवाहान महेन्द्र एवं छगनलाल, जो मजरूबान हैं, पीडब्ल्यू 03 एवं पीडब्ल्यू 06 के तौर पर परीक्षित हुए हैं। गवाह महेन्द्र पीडब्ल्यू 03 पक्षद्रोही होने से अभियोजन को कोई सहायता प्रदान नहीं करता है एवं गवाह पीडब्ल्यू 06 छगनलाल जो कि प्रकरण में परिवादी/मजरूब व रिपोर्टकर्ता है, जिसने दिनांक 02.08.2010 को दिन के 3:30 बजे उसके व उसके जीजा के साथ बनावड की घाटी के पास राकेश, बनैसिंह, नरेश द्वारा उनकी मोटरसाईकिल के सामने अपनी मोटरसाईकिल लगा देना और उनके साथ में मारपीट करना एवं उसके गले से सोने का ओउम, हाथ की घडी तथा उनकी मोटरसाईकिल को छीन कर ले जाने बाबत् कथन किया है। इस गवाह के बयान दिनांक 31.07.2018 को लेखबद्ध किये गये थे, जिसमें उसने अन्य दो व्यक्तियों के बारे में उसे गांव के लोगों के द्वारा बतलाया जाना कथन किया था, जिस पर इस गवाह के बयान मुलजिमान की शिनाख्तगी हेतु रिजर्व रखे गए तथा उक्त गवाह के बयान दिनांक 08.11.2024 को पुनः लिए गए तो गवाह ने न्यायालय में उपस्थित व्यक्तियों को पहचान कर कहा कि इनमें वह व्यक्ति उपस्थित नहीं है, जिसने उसके साथ घटना कारित की। जबकि उक्त दिनांक को मुलजिम बने सिंह न्यायालय कक्ष में उपस्थित था, जिसको गवाह ने पहचानने से इंकार किया। इस प्रकार प्रकरण के इस महत्वपूर्ण गवाह परिवादी/मजरूब व रिपोर्टकर्ता पीडब्ल्यू 06 छगनलाल ने अपने सशपथ बयानों में न्यायालय में उपस्थित मुलजिम बनेसिंह को देखकर यह कहा है कि ये मुलजिम नहीं है, जिसने हमारे साथ वारदात की थी। जब उक्त गवाह ने बनेसिंह के न्यायालय में उपस्थित होने के बावजूद पहचान नहीं पाया तो मुलजिम राकेश की पहचान स्थापित नहीं हुई है। गवाह महेंद्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में बने

का मुंह ढका था, राकेश उसके गांव का है कथन किया है वहीं धारा 161 सीआरपीसी के बयान में बनैसिंह का मुंह ढका हो ऐसा नहीं कहा है। साथ ही कहा कि अन्य दो व्यक्ति थे जिनके नाम नहीं जानता। यदि राकेश उसके गांव का था तो पहचाना कैसे नहीं। एपीपी साक्ष्य की जिरह में धारा 161 सीआरपीसी के बयानों को पहले सही बताया। आगे कहा कि उसने तीनों के नाम बताये थे। धारा 161 के बयान में स्वयं के साथ मारपीट नहीं बताई है वहीं मुख्य परीक्षा में न्यायालय के समक्ष मारपीट होना बताया है। एफआईआरकर्ता/पीडित ने रिपोर्ट व न्यायालय के समक्ष विरोधाभासी बयान किये हैं। ऐसी स्थिति में उक्त महत्वपूर्ण गवाह की साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त ने ही इस वारदात को अंजाम दिया हो। ऐसी स्थिति में इस गवाह की साक्ष्य से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। अतः उक्त दोनों ही महत्वपूर्ण गवाहान महेन्द्र पीडब्ल्यू 03 एवं छगनलाल पीडब्ल्यू 06 की साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा ही इनके साथ घटना कारित की गई हो।

24. प्रकरण में परीक्षित हुए अन्य गवाहान में पीडब्ल्यू 01 डा. आरआर मीना तत्कालीन चिकित्साधिकारी, सीएचसी मंडावर पर चिकित्सक है, जिसने मजरूब छगनलाल के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन तैयार किया जाना कथन किया है, परन्तु वह चोटें अभियुक्त राकेश के द्वारा ही कारित की गई हों, यह पत्रावली पर उपलब्ध गवाहान की साक्ष्य से संपुष्टि नहीं होती है। अन्य गवाह पीडब्ल्यू 02 देवी सहाय प्रकरण में नक्शा मौका बनाये जाने का औपचारिक साक्षी है, जो जिरह में दिनांक 02.08.2010 को नक्शा मौका बनाये जाने का कथन करता है, जबकि नक्शा मौका पर दिनांक 03.08.2010 अंकित है। ऐसे में घटना दिनांक से एक दिन पूर्व ही नक्शा मौका कैसे बनाया यह पत्रावली पर स्पष्ट नहीं किया गया है एवं घटना दिनांक से एक दिन पूर्व का नक्शा मौका प्रकरण में संदेह की स्थिति उत्पन्न करता है। गवाह जयकिशन अभियुक्त राकेश की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 04 का औपचारिक साक्षी है। जिसने अभियुक्त राकेश को नहीं जानना बताया है। गवाह पीडब्ल्यू 05 सुनील कुमार मोटरसाईकिल नंबर आर जे 02 एसएन 9984 का रजिस्टर्ड स्वामी है, जो जिरह में घटना अपनी आंखों से नहीं देखना एवं वक्त घटना अपने गांव कलसाडा में होना स्वीकार करता है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह सुनी सुनाई बात कर रहा है। गवाह हरिचरण पीडब्ल्यू 07 प्रकरण में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 पर कार्यवाही पुलिस अंकित करने का गवाह है, जो जिरह में प्रकरण की तफ्तीश स्वयं के द्वारा नहीं किया जाना एवं आरोप पत्र भी स्वयं के द्वारा पेश नहीं किया जाना कथन करता है। गवाह पीडब्ल्यू 08 महेश प्रकरण में घटनास्थल नक्शा मौका प्रदर्श पी 07 एवं प्रदर्श पी 08 का औपचारिक साक्षी है। इस गवाह के बयानों से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि अभियुक्त राकेश से कोई बरामदगी की हो। अन्य गवाह पीडब्ल्यू 09 रामअवतार एवं

गवाह पीडब्ल्यू 10 रामकरण अभियुक्त बनेसिंह को जरिये फर्द प्रदर्श पी—9 के गिरफ्तार किये जाने के गवाह हैं। गवाह पीडब्ल्यू 11 बलवीर सिंह अभियुक्त राकेश की गिरफ्तारी का गवाह है जिसके बयानों से भी कोई बरामदगी नहीं होना प्रकट होता है।

25. प्रकरण में परीक्षित अन्य गवाहान धर्मपाल पीडब्ल्यू 12, रामकिशोर पीडब्ल्यू 13 एवं मनोहरलाल पीडब्ल्यू 14 ने साक्ष्य में प्रकरण में किए गए अनुसंधान प्रकिया के संबंध में ही साक्ष्य दी है। उक्त गवाहान प्रकरण में तकनीकी एवं प्रारूपिक प्रकृति के साक्षी होकर पश्चातवर्ती साक्षी हैं तथा जब प्रकरण में परीक्षित हुए महत्वपूर्ण गवाहान महेन्द्र पीडब्ल्यू 03 एवं छगनलाल पीडब्ल्यू 06 की साक्ष्य से ही यह साबित नहीं होता है कि उनके साथ अभियुक्त द्वारा ही घटना कारित की गई थी, तो ऐसी स्थिति में उक्त गवाहान की साक्ष्य औपचारिक प्रकृति की रह जाती है। ऐसे में इन गवाहान की साक्ष्य अभियुक्त राकेश के संबंध में अभियोजन को कोई सहायता प्रदान नहीं करती है। **प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी गोकुल चंद की मृत्यु हो जाने के कारण वह प्रकरण में परीक्षित नहीं हो सका है।**

26. ऐसे में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियोजन यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त राकेश ने दिनांक 02.08.2010 को समय दोपहर 3.30 बजे मौजा बनावड की घाटी मण्डावर में जब फरियादी छगन अपने जीजा महेन्द्र के साथ मोटरसाईकिल आर.जे. 02 एसएन 9984 से आ रहा था, तब आपने अन्य साथी अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी को मृत्यु या उपहति का भय दिखाते हुए फरियादी के साथ लात घूसों से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की एवं फरियादी के गले से सोने का ओम व हाथ घड़ी व मोटरसाईकिल को ले जाकर लूट कारित की। फलतः अभियुक्त पर आरोपित अपराध संदेहातीत प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्त को संदेह के आधार पर दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत प्रकट होता है।

27. अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अभियुक्त पर आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्त राकेश को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 394, 34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत प्रकट होता है।

:: आदेश ::

28. अतः अभियुक्त राकेश पुत्र रामप्रताप निवासी अडोली पुलिस थाना खेरली जिला अलवर (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 394, 341, 34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के नियमित उपस्थित बाबत जमानत मुचलके नियमानुसार

निरस्त किये जाते है।

29. **प्रकरण अभियुक्त नरेश सिंह दिनांक 10.10.2024 से मफरूर हैं। अत : पत्रावली पर इस आशय का नोट लाल स्याही से लगाया जावे कि पत्रावली का कोई भी भाग जाया नहीं किया जावे।**

(सीमा मीना)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महवा जिला दौसा (राज.)

30. निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 17.11.2025 को मेरे द्वारा विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा मीना)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महवा जिला दौसा (राज.)